



कृषि श्रमिक एवं मनरेगा

डॉ० हंसा लुनायच

सह आचार्य— भूगोल विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय, चौमू—जयपुर, (राजस्थान) भारत

कृषि श्रमिकों से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनके पास अपनी स्वयं की कोई कृषि भूमि नहीं होती है तथा कृषकों की भूमि पर श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन व्यक्तियों के पास अपनी थोड़ी सी कृषि भूमि होती है और वे अपने परिवार के भरण—पोषण हेतु कृषि श्रमिक बनकर कार्य करते हैं।

प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति (First Agriculture Labour Enquiry) के अनुसार, “एक कृषि श्रमिक वह व्यक्ति है जो वर्ष में अपने काम के कुल दिनों में से आधे से ज्यादा दिन खेत में श्रमिक बनकर कार्य करता है।” द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति (Second Agriculture Labour) ने प्रथम जाँच समिति में सुधार करके निम्न परिभाषा दी— “कृषि श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो न केवल फसलों के उत्पादन हेतु रखा जाता है बल्कि अन्य कृषि सम्बन्धी व्यवसायों; जैसे—डेरी, मुर्गी पालन, शहद की मक्किखियों का पालन आदि पर किराये के मजदूर के रूप में कार्य करता है।”

कृषि श्रमिकों के प्रकार

(Types of Agricultural Labour)

ब्रिटिश काल में श्रमिकों को निम्न चार भागों में विभाजित किया जा सकता है—

(1) बंधवा मजदूर (**Bonded or Semifree Labourers**) — वाडिया एवं मरचेंट (Wadia and Merchant) के अनुसार बंधवा मजदूर होने का कारण यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मुद्र उधार ले लेता है और वह चुका नहीं पात तब उस दशा में वह उस मुद्रा के भुगतान के बदले उस व्यक्ति के पास अपनी सम्पूर्ण जिन्दगी गुलाम की तरह रहने को मजदूर हो जाता है। इस प्रकार के बंधवा मजदूर खरीदे एवं बेचे जा सकते हैं। इस बंधवा श्रम की सबसे दुरी विशेषता यह है कि उसका ऋण कभी वापिस नहीं चुकता है तथा कभी—कभी दूसरी पीढ़ी भी इसी तरह गुलाम बनी रहती है।

(2) अति सीमांत जोत श्रमिक (**Dwarf Holding Labourers**) — इस वर्ग में छोटी जोत वाले कृषक किरायेदार, आंशिक कृषक आते हैं। इस प्रकार के श्रमिक अन्य वर्ग से निम्न होते हैं क्योंकि वे केवल मजदूरी पर ही निर्भर नहीं करते हैं। खेती से पर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण दूसरे कृषकों के खेतों में मजदूरी करते हैं।

(3) अर्द्ध रोजगार भूमिहीन श्रमिक (**Under-employed Landless**) — बंधवा श्रमिका भूस्वामी तथा अति जोत श्रमिक भूमि से जुड़े होते हैं। दोनों प्रकार के श्रमिक वर्ग रोजगार के अभाव में उत्पन्न होते हैं। जब इन श्रमिकों का भूस्वामी अथवा भूमि से सम्बन्ध टूट जाता है तो श्रमिकों का वर्ग बन जाता है, अर्द्ध रोजगार भूमिहीन श्रमिक कहलाता है। इस प्रकार के श्रमिक रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। ये श्रमिक एक फसल पर एक जगह तथा दूसरी फसल पर दूसरी जगह कार्यरत रहते हैं। यह पाया गया कि बिहार तथा यू० पी० कि श्रमिक जूट की फसल के समय बंगाल में आ जाते थे।

(4) पूर्ण रोजगार भूमिहीन श्रमिक (**Full time Landless Labourers**)—इस प्रकार का श्रमिक बागानों अथवा धनी कृषक के यहाँ कार्यरत था। चूँकि चाय बागान ऐसे स्थानों पर स्थित थे जहाँ आबादी बहुत कम होती थी तथा श्रमिक आसानी से उपलब्ध नहीं होता था, ऐसी दशा में धनी आबादी वाले श्रमिकों को उन स्थानों पर पूर्ण रोजगार दे दिया जाता था। इसके अतिरिक्त धनी व्यक्ति अपने फल, सब्जी आदि कृषि फार्मों के लिये पूर्णकालीन कृषि श्रमिक नियोजित कर लेते थे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- भारत विश्व का पहला देश है, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल पारित कर रोजगार को कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक 2004 (नरेगा) को मंजूरी दी किंतु यह अधिनियम सितम्बर 2005 में विनियमित और 02 फरवरी 2006 को लागू किया गया। कई चरणों में क्रियान्वित यह अधिनियम प्रथम चरण में देश के सर्वाधिक पिछड़े 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 में दूसरे चरण के तहत देश



के अन्य 130 जिलों को इस अधिनियम के तहत जोड़ दिया गया। अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध रूप से इसको सभी ग्रामीण जिलों में विस्तारित किया जाना था किंतु योजना की सफलता एवं उपयोगिता की वजह से देश के सभी 614 ग्रामीण जिलों में 01 अप्रैल 2008 से लागू कर दिया गया। देश के सभी ग्रामीण जिलों में चल रही इस योजना का नाम 02 अक्टूबर 2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) के बदले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कर दिया गया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस अधिनियम के महत्व को स्वीकारते हुये कहा है कि रोजगार गारंटी बिल न केवल भारत के लिये बल्कि विश्व के लिये ऐतिहासिक व अनुठा है। अंतरिम राहत न होने पर भी राज्य सरकार को 90 प्रतिशत रोजगार मुहैया करवाना होगा, जिसका व्यय केन्द्र सरकार की बेरोजगारी भर्ते के लिये उपलब्ध राशि से स्वतः किया जायेगा। इस अधिनियम के प्रावधान के मुताबिक 33 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी अनविर्य है। अधिनियम के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में पंचायती राज संस्थाओं/पंचायतों की मुख्य भूमिका होती है। अधिनियम में बड़ी सतर्कता और निगरानी की परिकल्पना है। ग्राम सभा को सामाजिक लेखा-परीक्षण का अधिकार है।

कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय सतर्कता और निगरानी समिति गठित की जा सकती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान है। इस योजन के तहत जल संरक्षण, सड़क, पुलिया, पंचायत भवनों का निर्माण, बाढ़ नियंत्रण, वृक्षारोपण, तलाब निर्माण से सम्बन्धित कार्यों में ही मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार व मजदूरों के पलायन पर स्वतः रोक लगती है। एक आंकलन के मुताबिक देश में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस अधिनियम के तहत जॉब कार्ड धारक हैं। समान्यतः एक ही परिवार में 2-3 व्यक्तियों के पास जॉब कार्ड है। वर्ष 2009-10 तक 8.57 करोड़ नरेगा कामगारों के लिये बैंक और डाकघर में मजदूरी भुगतान खाता खुल गये हैं। कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006-07 में न्यूनतम मजदूरी 65 रुपये प्रतिदिन था, जिसे बढ़कर वर्ष 2009-10 में 88.48 रुपया कर दिया गया है। अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रथम वर्ष 2006-07 में दो सौ ग्रामीण जिलों के 2.10 करोड़ घरों को शामिल किया गया तथा 90.5 करोड़ लोगों को मजदूरी रोजगार दिया गया। वर्ष 2007-08 में 330 ग्रामीण जिलों के 3.39 करोड़ परिवारों के 143.5 व्यक्तियों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध करा दी गई। वहीं वर्ष 2008-09 में 4.51 करोड़ घरों के 216.62 व्यक्तियों तथा 2006-10 में 160 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है।

अध्ययन का अद्देश्य- प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कृषि श्रमिकों पर मनरेगा के प्रभानां का विश्लेषण करना है।

अध्ययन का क्षेत्र- प्रस्तुत अध्ययन के लिए जहानाबाद जिला के बरावाँ पंचायत का चयन किया गया है।

निर्दर्श- बरावाँ पंचायत के 200 कृषि श्रमिकों का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन पद्धति के द्वारा किया गया है।

उपकरण- उत्तरदाताओं पर मनरेगा के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए साक्षकार-अनुसूची का उपयोग किया गया।

तथ्य विश्लेषण- सर्वाधिक उत्तरदाता 35 से 45 वर्ष के हैं। उत्तरदाता अनुसूचित जातियों के हैं। शतप्रतिशत उत्तरदाता पुरुष हैं। उत्तरदाताओं का परिवार संयुक्त है तथा सर्वाधिक उत्तरदाताओं के परिवार में चार से 7 सदस्य है। उत्तरदाताओं का वार्षिक आय 48000 रुपये हैं। अधिकांश उत्तरदाता अशिक्षित हैं। सर्वाधिक उत्तरदाता विवाहित हैं। सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मकान पक्का है जो इन्दिरा बावास योजना के द्वारा उपलब्ध हुआ है अधिकांश उत्तरदाता भूमिहीन हैं। मनरेगा के द्वारा रोजगार मिलने से उनके आय में वृद्धि होने से रहन-सहन का स्तर ऊँचा हुआ है। परिणामस्रूप वे बोट के महत्व का समझते हैं। वे मतदान में जुलुस, प्रदर्शन, सभा संगोष्ठि में मात्र लेते हैं तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं।

उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा में भ्रष्टाचार- का बोलबाला है। बिना धूस दिये हुए उनका पंजीकरण नहीं होता है। उत्तरदाताओं ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के क्षेत्र में इसकी अहम भूमिका हो सकती है, बशर्ते इमानदारी का पालन हो। उत्तरदाताओं ने कहा कि नहर बाले, नदी खुदवाने में मशीन का सहयोग लिया जाने लगा है जिससे श्रमिकों के रोजगार पर असर पड़ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत 2011, पेज – 844.
2. डॉ० कटारिया सुरेन्द्र : आर्थिक मंदी से जुङने में नरेगा, कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2009, पृ० 09-10.
3. डॉ० मोदी अनिता : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एक विश्लेषण, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2007, पृ० 35-36.
4. कुरुक्षेत्र दिसम्बर 2009, पृ० 35.36.
